



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27062026-273876  
CG-MH-E-27062026-273876

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3252]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 3252]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 22 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 3386(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से महाराष्ट्र राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में इस प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी

क्रमांक संख्या	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी,	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (बुलढाणा जिला)

	मलकापूर, बुलढाणा, महाराष्ट्र (मलकापूर और नांदुरा तहसील हेतु)	
2.	उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, खामगांव, बुलढाणा, महाराष्ट्र (शेगांव तहसील हेतु)	पूर्व में डानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा (बुलढाणा जिला)

[फा. सं. G197/DFCCIL Project/Buldana District/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS**

**(Central Railway)**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd June, 2026

**Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008**

**S.O. 3386(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the Officer mentioned in **column (2)** of the table below as the “**Competent Authority**” to perform the functions of such Authority under the said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in **column (3)** of the table below in the state of Maharashtra with effect from the date of publication of this notification of the official Gazette.

**Table**

<b>S. No.</b>	<b>Competent Authority</b>	<b>Name of the special Railway Project</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Malkapur, Buldana, Maharashtra (For Tehsil Malkapur and Nandura)	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West <b>(Buldana district)</b>
2.	Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Khamgaon, Buldana, Maharashtra (For Tehsil Shegaon)	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East to Surat in the West <b>(Buldana district)</b>

[F. No. G197/DFCCIL Project/Buldana District/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)